



|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <p>भारत सरकार<br/>कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय<br/>प्रशिक्षण महानिदेशालय<br/>राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान देहरादून<br/>वीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून (उतराखण्ड)-248171<br/>दूरभाष: 0135-2629310 E-mail: nsti-dehradun@dgt.gov.in</p> | <br>Skill India<br>कौशल विकास - कृषि कर्म |
|---|---|--|

फाइल सं: एनएसटीआई/डी-13011/1/2022-स्था०

दिनांक: 11.01.2023

## परिपत्र

यह देखा गया है कि समय-समय पर कुछ विभागों ने बैठकों/संगोष्ठियों आदि के आयोजन के लिए संस्थान का सभा कक्ष उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। अतः इस संबंध में संस्थान द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ ऐसे विभागों को सभा कक्ष उपलब्ध कराया जा सकता है:-

1. केंद्र सरकार के कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के लिए- 1500/- रुपये प्रति दिन।
2. निजी संगठन/कंपनियों के लिए- रु. 3000/- प्रति दिन।
3. अवधि के दौरान उपयोगकर्ता विभाग द्वारा किए गए किसी भी नुकसान को उनके द्वारा वहन किया जाएगा।
4. उपयोगकर्ता विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई कूड़ा-करकट न फैलाया जाए और सम्मेलन कक्ष को उसी स्थिति में वापस सौंप दिया जाए जैसा कि उपयोग के लिए दिया गया है।
5. हमारे संस्थान द्वारा कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

It has been observed that from time to time some of the departments have requested to provide the conference room of the Institute for convening meetings/seminars etc.

Hence, in this connection the Institute may provide the conference hall to such departments with following conditions: -

1. For Central Government Offices/PSUs- Rs.1500/- per day
2. For Private Organization/companies- Rs. 3000/- per day
3. Any damage caused during the period by the user department will be borne by them.
4. The user department should ensure that no littering is done and the conference room is handed over in the same condition as given for use.
5. No other facility will be provided by our Institute.

  
(रवि चिलुकोटी)

क्षेत्रीय निदेशक/विभागाध्यक्ष